संख्या-47/2021/536 /71-3-2021-जी-14/2018टीसी

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 31 मार्च, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में द्वितीय रिन्यूवल हेतु उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- एम0ई0/पर्चेज/2021/3559, दिनांक 26.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में द्वितीय रिन्यूवल हेतु उपकरणों की सूची उपलब्ध कराते हुए वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में द्वितीय रिन्यूवल हेतु उपकरणों की सूची (संलग्नानुसार) अनुमोदित करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0 415.00 लाख (रूपये चार करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या हेतु उपलब्ध करायी गयी उपकरणों की सूची के क्रमांक-9, 42, 56, 60, 61 एवं 63 में उल्लिखित उपकरण की लागत रू0 25.00 लाख या इससे अधिक है। अतः सोसायटी बायलॉज के प्रस्तर-24 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में उक्त उपकरणों का क्रय उच्च स्तरीय क्रय समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा। शेष उपकरणों का क्रय पारदर्शी टेण्डर व्यवस्था, जी0एफ0आर0 के प्राविधानों के अंतर्गत प्रधानाचार्य के माध्यम से किया जायेगा।
2. नोडल प्रधानाचार्य, अम्बेडकरनगर द्वारा लौटायी गयी धनराशि को समायोजित करते हुए द्वितीय नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित उपकरणों का क्रय किया जाए।
3. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।
4. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
6. स्वीकृत धनराशि से उन्हीं उपकरणों का क्रय किया जायेगा जिसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें की पूर्ति कर ली जाए।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
9. उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/ सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
10. उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-4090/71-1-2017-जी-243/2017, दिनांक 29.12.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खातें आदि में नहीं रखा जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
15. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रकिया के अनुसार विहित प्रकिया का पालन करते हुए उपयोगी उपकरण क्रय किया जायेगा। क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व ऑडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।
16. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-80-मेडिकल कालेज, अयोध्या-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्याः-47/2021/536(1)/71-3-2021, तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-47 /2021/536/71-3-2021-जी-14/2018टीसी, दिनांक 31 मार्च, 2021 का संलग्नक:-

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।

S.N.	Department	Name of Instrument	No. Req.	Expected cost (in rupees)	Total Expected Cost (In rupees)
1	Ophthalmology	Direct Ophthalmoscope (Rechargable)	1	60000.00	60000.00
2	Ophthalmology	Indirect Ophthalmoscope (Wireless, Rechargable)	1	200000.00	200000.00
3	Ophthalmology	Retinoscope (Rechargable)	1	60000.00	60000.00
4	Ophthalmology	Slit Lamp With applanation Tonometer	1	1000000.00	1000000.00
5	Ophthalmology	Keratometer	1	700000.00	700000.00
6	Ophthalmology	Gonioscope	1	35000.00	35000.00
7	Ophthalmology	Prism Bar	1	6000.00	6000.00
8	Ophthalmology	Schiotz Tonometer	1	9000.00	9000.00
9	Ophthalmology	Operating Microscope with T.V. Camera	1	9000000.00	9000000.00
10	Ophthalmology	Catract Set	7	20000.00	140000.00
11	Ophthalmology	Glucoma Set	1	20000.00	20000.00
12	Ophthalmology	DCR Set	1	20000.00	20000.00
13	Ophthalmology	Entropian set	1	20000.00	20000.00
14	Ophthalmology	Enuelcention set	1	20000.00	20000.00
15	Ophthalmology	Evisceration Set	1	20000.00	20000.00
16	Ophthalmology	Squint Set	1	20000.00	20000.00
17	Ophthalmology	OT Table for ophthalmology OT	1	325000.00	325000.00
18	Ophthalmology	A-Scan (and to measure IOL power for lens implantation in catract Surgery)	1	600000.00	600000.00
19	Ophthalmology	Volk 20 D Lens (Its use along with indirect ophtahlmoscope to diagnos posterior segment pathology)	1	30000.00	30000.00
20	Ophthalmology	Volk 90 D Lens (Its use in slit lamp biomicroscopy and help in to see fundus)	1	30000.00	30000.00
21	ENT	Nasal Speulum	4	150 each	600.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	ENT	Tongue Depressor	4	150 each	600.00
23	ENT	Laryngeal Miroprs	4	150 each	600.00
24	ENT	Nasopharyngeal Mirrors.	4	150 each	600.00
25	ENT	Aural Speculum	4	300 each	1200.00
26	ENT	Ear Suction	2	8000 per set	16000.00
27	ENT	Naaal Speculation	2	4000 per set	8000.00
28	ENT	Suction Apparatus	1	100000	100000.00
29	ENT	Siegels Speculum	1	2000	2000.00
30	ENT	Tuning Fork (512Hz)	1	500	500.00
31	ENT	Otoscope	2	50000 each	100000.00
32	ENT	Boyonet Forceps	1	2000	2000.00
33	ENT	Bulls Lamp	1	8000	8000.00
34	ENT	Head Light	1	200000	200000.00
35	ENT	ENT Examination Chair	2	150000 each	300000.00
36	ENT	Jobson Horne Probe	1	200	200.00
		Major OT			
37	ENT	Tonsillectomy and Adenoidectomy Set	1	100000	100000.00
38	ENT	Set for Nasal bone and Nasal Septum fracture	1	100000	100000.00
39	ENT	Septoplasty Set	1	100000	100000.00
40	ENT	Caldwel Luc Set	1	100000	100000.00
41	ENT	Antrostomy Set	1	10000	10000.00
42	ENT	FESS Set	1	7000000	7000000.00
43	ENT	Direct Laryngoscopy Set	1	100000	100000.00
44	ENT	Microlaryngoscopy Set	1	200000	200000.00
45	ENT	Tympanoplasty Set	1	200000	200000.00
46	ENT	Mastoidectomy Set	1	300000	300000.00
47	ENT	Stapedotomy Set	1	50000	50000.00
		Minor OT			
48	ENT	Direct Laryngoscopy Set	1	30000	30000.00
49	ENT	Lighting System	1	300000	300000.00
50	ENT	Biopsy Forceps	1	3000	3000.00
51	ENT	FB Removal Forceps	1	3000	3000.00
52	ENT	Sterlizer	1	5000	5000.00
53	ENT	Quinsy Forceps	1	2500	2500.00
54	ENT	Aural Snare	1	1500	1500.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

55	ENT	Aural Cup Forceps	1	3000	3000.00
		Miscellaneous Equipments			
56	ENT	Operating Microscope for Minor OT	1	5000000	5000000.00
57	ENT	Pure Tone Audiometer	1	500000	500000.00
58	ENT	Impedance Audiometer	1	1000000	1000000.00
59	ENT	Drill for Mastoid Surgery	1	1500000	1500000.00
60	Gen. Surgery OT	Anesthesia Workstation	1	2500000.00	2500000.00
61	Gynae OT	Anesthesia Workstation	1	2500000.00	2500000.00
62	Surgery	ETO Sterilizer	01	1000000	1000000.00
63	Surgery	Laparoscopic set	01	6000000	6000000.00
64	Surgery	Associated Surgical Instrument	02	500000	1000000.00
65	Surgery	General Surgery Set	04	500000	2000000.00
66	Obs & Gynae	L.S.C.S Set	02	500000	1000000.00
67	Obs & Gynae	Hysterectomy Set	02	500000	1000000.00
68	Obs & Gynae	DNC Set/MTP	04	25000	100000.00
69	Obs & Gynae	Delivery Set	03	500000	1500000.00
70	Anesthesia	Skill Lab Manikins		2000000	2000000.00
71	Blood Bank	Doner Couch	1	600000.00	600000.00
72	Blood Bank	Generator (62.5 KVA)	1	800000.00	800000.00
		Total			**51663300.00**

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।